.5.18 यह दावा श्री रामसहाय मीना वगै० ने पेश किया गया
रिपोर्ट अहलमद का अवलोकन किया गया। दावा
दर्ज रजिस्टर होकर तलबी प्रतिवादीगण की जावे
पत्रावली दिनांक 2-8-18 को पेश हो

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

24/5/18 आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके
द्वार कैम्प ग्रा०प० रानोला पर पेश हुई। वकील
वादी उप०। वादी एवं प्रतिवादी उप०। वादी एवं प्रतिवादी
ने आपसी सहमति से प्रकरण का निस्तारण करने
हेतु निवेदन किया गया। मुताबिक सहमति के
अनुसार वादी का दावा डिक्री किया जाता है।
निर्णय पृथक से लिखा जाकर आखिर पत्रावली
किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद
तकमील दफ्तर दाखिल की जावे।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

मुरारीलाल
मोहर सिंह मीना
पदम सिंह मीना
अभिषेक मीना
धारासिंह मीना
24/5/18

5/6/18 पत्रावली प्रा०पत्र पेश होने पर तलब की गई। वादीगण ने
प्रा०पत्र पेश कर अवगत कराया कि मूल निर्णय / डिक्री
में ख०नं० 706 अंकित हो गया। जबकि रिकॉर्ड में ख०नं०
708 है। अतः ख०नं० 706 की जगह 708 अंकित किया
जावे। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलो०
किया गया। मूल निर्णय / डिक्री में ख०नं० 706 की
जगह 708 ख०नं० का अंकन किया जावे। तथा संशोधन
का नोट लाल स्याही से अंकित किया जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर
दाखिल की जावे।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. मोहर सिंह
2. पदम सिंह
3. अभिषेक एवं
4. धारा सिंह

सभी पुत्रगण मुरारी, जाति मीना निवासी बड़ीला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर,

वादीगण

बनाम

1. मुरारी पि.मु. नारायण, उम्र 60 साल, जाति मीना निवासी बड़ीला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर,
2. तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर, बामनवास,
3. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा बामनवास

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी एवं विभाजन

राजस्व वाद संख्या 51/2018

वादीगण स्वयं अपने अधिवक्ता श्री रामसिंह मीना सहित उपस्थित, प्रतिवादी मुरारी लाल की ओर से स्वयं मुरारी उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं । इस वाद में आज दिनांक 24.5.2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम बड़ीला स्थित वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 576 रकवा 0.38 हैक्टेयर, 577 रकवा 0.34 हैक्टेयर, 633 रकवा 0.03 हैक्टेयर, 679 रकवा 0.15 हैक्टेयर, 682 रकवा 0.26 हैक्टेयर, 683

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

रकवा 0.18 हैक्टेयर, 684 रकवा 0.30 हैक्टेयर, 685 रकवा 0.26 हैक्टेयर, 689 रकवा 0.11 हैक्टेयर, 690 रकवा 0.49 हैक्टेयर, 691 रकवा 0.33 हैक्टेयर, 706 रकवा 0.93 हैक्टेयर, 709 रकवा 1.20 हैक्टेयर, 710 रकवा 5. 29 हैक्टेयर, 711 रकवा 0.76 हैक्टेयर, 994 रकवा 0.75 हैक्टेयर, इस प्रकार कुल किता 16 कुल रकवा 11.76 हैक्टेयर में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाह्मी तौर पर हुए विभाजन के अनुसार प्रत्येक के हिस्से में उक्त भूमि 1/5 – 1/5 विभक्त की जाकर उसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में खोली जावे तथा वादीगण को उनके हिस्से में उक्त प्रकार से आई भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 24.5.2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)
(रामकिशोर मीना)
उप जिला कलेक्टर बामनवास
शिविर रानीला

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

नोट:- आदेश दिनांक 5-6-18 की अनुपालना में डिक्री में अंकित ख.न. 706 की जगह ख.न. 708 पढ़ा जावे।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)